कार्यालय नगर निगम उदयपुर (राज.)

क्रमांकः– एच.ए./ सी.एन./18–19/2897 दिनांकः– 26-11-18

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम उदयपुर द्वारा खाद्य पदार्थ एवं रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, किराणा, ठेला, खाद्य सामग्री, शीतल पेय, डेयरी, पान, होटल (विश्रान्ति गृह) का वर्ष 2019 के लिये अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 1.12.18 से आरंभ किया जा रहा है।

नगर निगम उदयपुर होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्ययान एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानो के नियंत्रक व नियमन विषयक (उपनियम 2015) के अन्तर्गत समस्त दुकानदारो को लाईसेन्स लेना आवश्यक है।

अतः सम्बन्धित व्यक्ति अपने खाद्य अनुज्ञा पत्रों का दिनांक 31.12.2018 तक नवीनीकरण करवा लेवे अन्यथा अनुज्ञाधारियो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुज्ञा नवीनीकरण से पूर्व अपने भूखण्ड जिस पर नगरीय विकास शुल्क देय है, जमा कराकर ही अनुज्ञा का नवीनीकरण करावें। एवं झील किनारे होटल, रेस्टोरेन्ट स्थित होने पर पोल्यूशन कंट्रोल विभाग कि **NOC** साथ लगावें। अनुज्ञा नवीनीकरण के आवेदन दोपहर 1.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है।

1. नवीनीकरण फार्म।
2. रजिस्ट्री/किराया चिठ्ठी/पट्टा/नामान्तरण पत्र/गिरवी नामा की प्रति अटेस्टेड की हुई।
3 लाईट बील।
4. भवन निर्माण की स्वीकृति की प्रति अटेस्टेड की हुई।
5. भवन के भू–उपयोग परिवर्तन (व्यवसायिक) के आदेश की प्रति अटेस्टेड की हुई।
6. भवन/दुकान का नक्शा (ब्लू प्रिंट)।
7. झील किनारे स्थित भवन/दुकान की पोल्यूशन कंट्रोल विभाग की एन.ओ.सी.।
8. नगरीय विकास शुल्क की रसीद।
11. प्रतिष्ठान/स्थल के दो फोटोग्राफ।
12. 300 स्क्वायर फीट क्षैत्रफल तक के परिसरों पर जो पिछले 5 वर्ष से नवीनीकरण करा रहे है उन पर बिन्दू संख्या 4 व 5 लागू नहीं होगा।

(सिद्धार्थ सिहाग) IAS
आयुक्त
नगर निगम उदयपुर

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान् प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन संपर्क विभाग परिसर, शासन सचिवालय, जयपुर को भेज निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को पठनीय स्पेश में केवल राज्य स्तरीय समाचार पत्र, उदयपुर के अंक में प्रकाशित करा समाचार–पत्र की तीन प्रतियों के साथ बिल भिजवायें।

(सिद्धार्थ सिहाग) IAS
आयुक्त
नगर निगम उदयपुर